

फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

पतासीदेवी कोट बनाम गृहेश कोट

संख्या / वर्ष 102/2021: प्राथमिक / 20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30-11-21	<p>यह प्राथमिक फर्द एडवोकेट श्री मदन लाल जाट ने वेध किया रिपोर्ट सांख्यिकी की गयी। उपरोक्त दलील रजिस्ट्रार कर वास्ते गयी अप्रार्थित रिपोर्ट नं. 1412-21 के वेध हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	
	<p>1412-21 वकील प्रवीण उपाध्याय एडवोकेट अप्रार्थित सं. 1000/6 की मदद से एडवोकेट श्री मदन लाल जाट को दे दी। फर्दवाली वास्ते फर्दवाली एडवोकेट रिपोर्ट नं. 1412-21 के वेध हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)</p>	<p>उत्तर NOM. Applications No. 1000/6</p>
<p>30-11-21</p> <p>मदन लाल</p> <p>गृहेश कोट</p>	<p>15-12-21 फर्दवाली शूलकादके बाघ आज वापस वेधे कि फर्दवाली ने ली गयी। शूलकादके पक्षकारों ने शहीनामा वेध किया है। मूल शहीनामा के आधार पर खारिज किया गया फर्दवाली यलाने का कोर्ट अप्रार्थित गयी होने से प्रार्थना 1-2 खारिज किया जाय है। फर्दवाली को सल्लू प्रमाण के कारण दायता दायता है।</p>	<p>Kantam.</p> <p>पतासीदेवी</p> <p>पतासीदेवी</p>

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

30/11/21